न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक्ट), जमवारामगढ़ जिला जयपुर
बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S.
वाद पत्र सं0 238/2019 पूर्व 50/2017

1. दामोदर सिंह पुत्र गणपत सिंह
2. हनुमान सिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक दौराने वाद)
2/1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह
2/2 गिरिराज सिंह पुत्र हनुमान सिंह
3. संतोष कंवर पत्नि दामोदर सिंह
जाति राजपूत निवासी बृजपुरा बोबाडी तहसील जमवारामगढ जयपुर

.......वादीगण

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति चारण निवासी प्लॉट नं0 69 करणी विवेक विहार, गॉधी पथ, वैशाली नगर जयपुर।
2. आनन्द कंवर धर्मपत्नि कल्याण सिंह जाति जारण निवासी मॉ करणी वाटिका, हींगलाज नगर, लालरपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर।
3. श्री प्रदीप कुमार खेतान पुत्र श्री मुरलीधर खेतान जाति महाजन निवासी बी 1-203, कमल अर्पाटमेंट, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर।
4. श्री सुबोध अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी बी-1, भगवति मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
5. मोनिका कूलवाल पत्नि अनुराज कूलवाल जाति महाजन निवासी 2 शिवाजी नगर, जयपुर।
6. कविता कूलवाल धर्मपत्नि श्री पराग कूलवाल जाति महाजन निवी 1 शिवाजी नगर, सिविल लाईन, जयपुर।
7. कुणाल गैंद पुत्र दीपक कुमार गैंद जाति पंजाबी निवासी गोकल्यावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र भागीरथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी डालों की ढाणी, भानपुरकलॉ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकः-
श्री महेश शर्मा नयावासः-वकील वादी
श्री पुष्पेन्द्र शर्माः-वकील प्रतिवादी

निर्णय
दावा घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ऐक्ट0

दिनांक 18.08.2023

वादीगण की ओर से एडवोकेट महेश शर्मा द्वारा धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया गया कि ग्राम गोकल्यावाला पटवार हल्का बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नं0 8 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा एवं गै0मु0चाह चाह खसरा नं0 7 रकबा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 56 बीघा 14 बिस्वा रही है, जिसके सम्बन्ध में सहखातेदार पक्षकारों के मध्य आपसी सहमतिपूर्ण विभाजन अनुसार खसरा नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा वादीगण के हित में कायम किया जाकर मुताबिक रकबा बरारी राजस्व नक्शा तरमीम किया गया, जिसके हाल सेटलमेंट खसरा नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर, 39 रकबा 0.01 हैक्टैयर किता 2 कुल रकबा 4.78 हैक्टेयर पूर्वानुसार जमाबन्दी खतौनी कायम की गई। इसी प्रकार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

उक्त वर्णितानुसार विभाजन के तहत खसरा नं0 8/2 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नं0 8/3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नं0 8/4 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा अनुसार कायम किया जाकर तदानुसार रकबा बरारी रकबों अनुसार राजस्व नक्शे कायम करते हुए विभाजन को पूर्ण कर दिया गया। उक्त वर्णित भूमियों के हाल सेटलमेंट कार्यवाही में नवीन खसरा नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर, 39 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 38 रकबा 1.87 हैक्टेयर, 88/40 रकबा 2.10 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर, 90/36 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 89/38 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 26 रकबा 1.80 हैक्टेयर, 29 रकबा 1.25 हैक्टेयर अनुसार कायम किये गये है।

उक्त वर्णितानुसार साबिक खसरा नं0 8 के मिन खसरा नं0 8/4 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नं0 26 एवं 29 अनुसार कायम करते समय खसरा नं0 26 एवं 29 का रकबा साबिक तकासमें के विपरित त्रूटिपूर्ण कायम करते हुए खसरा नं0 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर अनुसार अनावश्यक राजस्व इन्द्राज किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी इन्द्राज किया हुआ है, जबकि खसरा नं0 8/4 की भूमि साबिक राजस्व नक्शे मुताबिक खसरा नं0 26 एवं 29 अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में पूर्णतया शामिल है, उसके उपरांत भी खसरा नं0 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर अलग से बढाया जाकर खातेदारी इन्द्राज अधिकार विहिन है। विवादित भूमियों के सहमतिपूर्ण तकासमें अनुसार कायम खसरा नं0 8/2 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 8/3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा अनुसार कायम किया गया है, जिसके अनुसार ही राजस्व नक्शे कायम कये गये थे, लेकिन हाल सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 8/3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के नक्शे के स्थान पर नवीन खसरा नं0 36 रकबा 1.73 अनुसार तरमीम करते हुए उसमें साबिक खसरा नं0 8/2 की भूमि को भी शामिल किया हुआ है।

उपरोक्त विवादित आराजीयात में खसरा नं0 36 अनुसार राजस्व नक्शे में पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण खसरा नं0 90/36 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि व खसरा नं0 89/38 रकबा 0.63 हैक्टेयर अनुसार तरमीम करते हुए उसके लगवा अनुसार खसरा नं0 38 रकबा 1.87 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा कायम किया जाना चाहिए तथा उसके उपरांत खसरानं0 88/40 रकबा 2.10 हैक्टेयर अनुसार राजस्व नक्शा कायम करते हुए वादीगण के खसरा नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर बरारी रकबा सहित पूर्व खसरा नं0 8/1 के राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम होना चाहिए तथा खसरा नं0 36 रकबा 1.73 हैक्ट0 अनुसार प्रति0 सं0 1 के नाम खातेदारी व राजस्व नक्शा विलोपित किया जाकर खसरा नं0 26 व 29 व 36 का रकबा 4.78 हैक्टेयर साबिक खसरा नं0 8/4 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा अनुसार राजस्व नक्शे में कायम किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार ही अपने खातेदारी ख0 नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर के रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शे में खसरा नं0 88/40 के राजस्व नक्शे की तरमीम को निरस्त कराते हुए अपने खातेदारी अनुसार राजस्व नक्शों की तरमीम दुरूस्तीकरण की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। चूंकि हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान कायम वादग्रस्त खसरा नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर के रकबा बरारी अनुसार तथा साबिक खसरा नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा अनुसार वादीगण बदस्तूर मौके पर साधिकार खातेदार काश्तकार काबिज है, लेकिन वादीगण के राजस्व नक्शे में खसरा नं0 88/40 रकबा 2.10 हैक्टेयर के त्रूटिपूर्ण तरमीम हो जाने के कारण प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 द्वारा जरिये सीमाज्ञान कार्यवाही वादीगण को बेदखल करने हेतु आमदा है, जिसके लिए दिनांक 18.03.2017 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को बेदखल करने व वादीगण की भूमि पर अपना कब्ज करने की धमकियां दी तथा वादीगण के राजस्व नक्शे में खसरा नं0 88/40 की त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करने से भी साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्यों के कारण वादीगण को वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपरोक्त कथनों सहित कथन किया गया कि भू-राजस्व अधिकारियों की तथाकथित अवैध त्रूटिपूर्ण राजस्व नक्शों की कार्यवाही वादीगण के विधिक हक खातेदारी अधिकारों की भूमि के विरूद्ध है, जो कि वादग्रस्त भूमियों के राजस्व नक्शे में त्रूटिपूर्ण व अधिकार विहिन गलत तरमीम को दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है, तदानुसार अपनी वादग्रस्त भूमि के विवादित कब्जे काश्त के भू-भाग की भूमि को अपने खातेदारी राजस्व नक्शे में सम्मिलित कराते हुए कब्जे काश्त व हक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

अधिकारों अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम कराने एवं अपनी भूमि की सीमाओं की घोषणा अपने हित में कराने के वादीगण अधिकारी है।

उक्त प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रतिवादी सं0 9 ने क्रमांक रीडर/2023/321 दिनांक 01.08.2023 अनुसार विचाराधीन प्रकरण में अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत जवाब प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार ने कथन किया कि ग्राम गोकल्यावाला के आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत् 2065 में खाता संख्या 18 में ख0नं0 26,26,36 से 40 कुल किता 7 कुल रकबा 14.3400 है0 में नामा0 सं0 256 दिनांक 06.04.2010 का नोट नहीं लिखा जाकर केवल मात्र नामा0 संख्यां 156 दिनांक 06.04.2010 लिखा हुआ है, जो कि सामलाती खातेदारी दर्ज जमाबन्दी में है। आधा वर्ष पश्चात जमाबन्दी में संवत् 2068–71 में उक्त खसरा नम्बारान् का विभाजन कर पृथक–पृथक खाते बना दिये गये। जमावन्दी संवत् 208 से 2071 में खाता संख्यां 15 में ख0नं0 89/38 रकबा 0.63 है0, 90/36 रकबा 0.1700 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 व खाता सं0 20 ख0 नं0 39 रकबा 0.01 है0, 40 रकबा 4.7700 है0 कुल किता 2 रकबा 4.78 है0 व खाता संख्यां 26 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 29 रकबा 1.25 है0., 36 रकवा 1.73 है0, कुल किता 3 रकबा 4.78 है0 व खाता संख्यां 26 ख0नं0 37 रकबा 0.01 है0, 38 रकबा 1.87 है0, ख0नं0 88/40 रकबा 2.10 है0 में दर्ज किया गया। हाल जमाबन्दी संवत् 2076 से स्थायी में खाता संख्यां 23 ख0नं0 39 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 40 रकबा 4.77 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.78 है0 कृष्ण कुमार पुत्र रामकुंवार सिंह हि0 1/8 जाति जाट, विजय कुमार पुत्र रामकुमार सिंह हि0 1/8 जाति जाट, दामोदर सिह पुत्र गण्पत सिंह हि0 2/4 जाति राजपुत के नाम दर्ज है। खाता संख्यां 26 में ख0नं0 37 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 38 रकबा 1.87 है0, ख0नं0 88/40 रकबा 2.10 है0 कुल किता 3 रकबा 3.98 है0 आनन्द कंवर पत्नि कल्याण सिंह वगेरहा के नाम दर्ज है। व खाता संख्यां 6 ख0नं0 89/38 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 90/36 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 रकबा 0.80 है0 कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह वगे0 के नाम दर्ज है व खाता संख्यां 27 ख0नं0 26 रकबा 1.80 है0, ख0नं0 36 रकबा 1.73 है0 कुल किता 3 रकबा 4.78 है0 डॉ0 सुबोध अग्रवाल वगेरहा के नाम दर्ज है।

साबिक नक्शा शीट अनुसार तरमीमशुदा ख0नं0 8/4 का नवीन नक्शे से मिलान करने पर नवीन नक्शें में ख0नं0 26,29 की तरमीम से मिलान होता है। इसी प्रकार साबिक नक्शा शीट 8/3 से मिलान करने पर नवीन नक्शा शीट में ख0नं0 36 की तरमीम व साबिक ख0नं0 8/2 के हाल तरमीम ख0नं0 90/36,89/38,38 व साबिक ख0नं0 8/1 के हाल ख0नं0 88/40,40 की तरमीम से मिलान होता है। साबिक नक्शा शीट में वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में विभाजन के नामा0 सं0 156 के अमल के पश्चात ख0नं0 40 रकबा 4.77 है0 व ख0नं0 39 रकबा 0.01 हैक्टेयर की नक्शा तरमीम का मिलान करने पर अन्तर पाया गया व रकबा बरारी अनुसार ख0नं0 40 का क्षैत्रफल 4.77 है0 नक्शा तरमीम में कम पाया गया, जबकि साबिक नक्शें में तरमीम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज रकबा 4.77 है0 अर्थात गत रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा अनुसार की गई है।

उक्त कथनों सहित तहसीलदार प्रतिवादी सं0 9 ने अपने जवाब में कथन किया है कि साबिक ख0नं0 8 रकबा 56 बीघा 18 बिस्वा में नामा0 सं0 156 दिनांक 06.04.10 द्वारा सहमति विभाजन से ख0नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा, ख0नं0 8/4 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा एवं ख0 नं0 8/2 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 8/3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कायम किये गये है।

वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा के हाल रिकोर्ड में विभाजन पश्चात ख0नं0 40 व 39 की नक्शा तरमीम में अन्तर है व रकबा बरारी अनुसार भी ख0नं0 40 की तरमीम नहीं की गई है। साबिक नक्शे में तरमीम शुदा ख0नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा की तरमीम अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त है।

उपरोक्त वर्णितानुसार विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 04.08.2023 को वकील वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील पुष्पेन्द्र शर्मा उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण बाद तामिल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जयपुर

नोटिस के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वकील उभय पक्षों द्वारा कथन करने पर प्रकरण को अंतिम बहस हेतु आगामी पेशी नियत की गई। दिनांक 14.08.2023 को वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित। वाकील वादी ने अपनी बहस में हाजिर अदालत उपस्थित होकर उपरोक्त तथ्यों सहित कथन किया कि खातेदार वादीगण अपनी भूमि के त्रूटिपूर्ण तरमीम नक्शें व रिकार्ड से अपने कब्जे व हक अधिकारों सहित सीमाओं को लेकर चिंतित है, जिसके लिए विवादित भूमि के खसरा नम्बरान के साबिक नक्शे एवं खातेदारी को मध्य नजर रखते हुए वर्तमान रिकार्ड व नक्शों में दूरूस्तीकरण घोषणा किया जावे। वादीगण ने अपनी बहस में उक्त कथनों सहित मुताबिक पत्रावली एवं जवाब तहसीलदार के आधार पर अंतिम निर्णय करने हेतु निवेदन किया, जिसमें उपस्थित वकील प्रतिवादी ने भी अपनी भूमि का रकबा बरारी अनुसार नक्शा दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया।

वकील वादीगण के उक्त तथ्यों अनुसार कथनों को मध्य नजर रखते हुए बहस सुनने व पत्रावली में शामिल राज्य सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साबिक नक्शो पर मनन करने व दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में राजस्व विभागीय कार्यवाही में राजस्व नक्शे के अन्तर्गत त्रूटिपूर्ण तरीके से साबिक नक्शें व रिकार्ड के विपरित हाल वर्तमान रिकार्ड व नक्शों में त्रूटिपूर्ण इन्द्राज व तरमीम की गई है, जिसका कथन तहसीलदार ने अपने जवाब में भी किया है। जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट एवं साबिक नक्शों को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जाकर ग्राम गोकल्यावाला में खसरा नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर, 39 रकबा 0.01 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे को रकबा बरारी मुताबिक साबिक खसरा नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार तरमीम करने घोषणा की जाती है एवं तदानुसार खसरा नं0 38 रकबा 1.87 हैक्टेयर, 88/40 रकबा 2.10 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 90/36 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 89/38 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर के राजस्व नक्शो की तरमीम दूरूस्त करने तथा खसरा नं0 26 रकबा 1.80 हैक्टेयर, 29 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नं0 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर के राजस्व नक्शों की तरमीम साबिक राजस्व नक्शे मुताबिक दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा पक्षकारों के राजस्व नक्शों को साबिक नक्शों के तहत रकबा बरारी मध्य नजर रखते हुए तरमीम दुरूस्तीकरण के उपरोक्तानुसार आदेश दिये जाते है। प्रकरण में उक्त निर्णय पारित कर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। भूमिधारी तहसीलदार को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/09/23

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आदेश 22 नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक), जमवारामगढ़ जिला जयपुर

बईजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S.

वाद पत्र सं0 238/2019 पूर्व 50/2017

उनवानः–.........दामोदर सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य वगेरहा.....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू......मुझ चिमनलाल मीना R.A.S. व हाजरी वकील वादी...मिनजामिन मुद्दई रूबरू.....प्रतिवादीगण.... के विरूद्ध हाजा अदालत में मिन जामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि ....ग्राम गोकल्यावाला में खसरा नं0 40 रकबा 4.77 हैक्टेयर, 39 रकबा 0.01 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे को रकबा बरारी मुताबिक साबिक खसरा नं0 8/1 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार तरमीम करने घोषणा की जाती है एवं तदानुसार खसरा नं0 38 रकबा 1.87 हैक्टेयर, 88/40 रकबा 2.10 हैक्टेयर, 37 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 90/36 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 89/38 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर के राजस्व नक्शो की तरमीम दूरूस्त करने तथा खसरा नं0 26 रकबा 1.80 हैक्टेयर, 29 रकबा 125 हैक्टेयर, खसरा नं0 36 रकबा 1.73 हैक्टेयर के राजस्व नक्शों की तरमीम साविक राजस्व नक्शे मुताबिक दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा पक्षकारों के राजस्व नक्शों को साबिक नक्शों के तहत रकबा बरारी मध्य नजर रखते हुए तरमीम दुरूस्तीकरण के उपरोक्तानुसार आदेश दिये जाते है। प्रकरण में उक्त निर्णय पारित कर डिक्री किया जाता है.....................

निजी...मबलिक...बाबत.................................... खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगेरह...फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियत तक ....को अदा करें। वसूलियाव तक ....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर हाजा अदालत में आज तारीख 18.08.2023 को जारी किया।

दस्तखत..

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

ओहदा..........................जमवारामगढ़...................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सूबत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

दस्तखत..

ओहदा..

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

जमवारामगढ़